प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

13th अगस्त, 2026

केंद्र सरकार, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन प्रस्तुत

मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या 17, केंद्र सरकार, वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालय/विभाग (अनुपालन लेखापरीक्षा) प्रतिवेदन कल संसद में पेश की गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की यह रिपोर्ट भारत सरकार के आठ[1] वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ उनके अधीन स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेनदेन के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में चार पैरा, दो विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और दो सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा शामिल हैं। इस रिपोर्ट में शामिल मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों का अवलोकन नीचे दिया गया है।

भूमि और संपदा प्रबंधन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखा परीक्षा

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.) के पास भूमि और संपदा प्रबंधन के लिए कोई व्यापक नीतिगत ढांचा नहीं था। कैबिनेट सचिवालय द्वारा नवंबर 2011 में जारी निर्देशों के बावजूद, डी.ए.ई ने एक समान भूमि हस्तांतरण और पट्टे की नीति तैयार नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप इसकी घटक इकाइयों में असमान प्रथाएं थीं। डी.ए.ई ने अपनी सभी इकाइयों और सहायता प्राप्त संस्थानों पर लागू समान विभागीय पूल आवासीय आवास नियम भी तैयार नहीं किए।

---

[1] 1. परमाणु ऊर्जा विभाग, 2. जैव प्रौद्योगिकी विभाग, 3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, 4. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, 5. अंतरिक्ष विभाग, 6. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, 7. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और 8. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।

लेखापरीक्षा में भूमि हस्तांतरण, पट्टा प्रबंधन और आवासीय आवास के आवंटन में कमियां देखी गईं। कुछ मामलों में सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त किए बिना भूमि आवंटित या बरकरार रखी गई, जबकि पट्टा समझौतों के नवीनीकरण और संशोधित पट्टा किराए की वसूली में देरी के परिणामस्वरूप संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। डी.ए.ई ने एक समान नीतिगत ढांचे के बिना भूमि, भवनों और आवासीय आवास के आवंटन में रियायतें भी बढ़ाईं, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की कम वसूली और अनावश्यक व्यय हुआ।

टाटा मेमोरियल सेंटर का सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

टाटा मेमोरियल सेंटर के पास अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिकी नीति, आई.टी संचालन समिति, डेटा प्रतिधारण और अभिलेखीय नीति या व्यवसाय निरंतरता और आपदा रिकवरी योजना नहीं थी। कमजोर पासवर्ड नियंत्रण, अपर्याप्त प्रमाणीकरण तंत्र और समय-समय पर सुरक्षा लेखापरीक्षा के संचालन में कमी ने केंद्र को साइबर सुरक्षा जोखिमों के लिए उजागर किया। लेखापरीक्षा ने अस्पताल सूचना प्रणाली कार्यान्वयन, तार्किक पहुंच नियंत्रण, रोगी पंजीकरण प्रबंधन, सूची प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग मॉड्यूल में कमियों को भी देखा। आई.टी शासन और अनुप्रयोग नियंत्रण में महत्वपूर्ण अंतराल ने डेटा सुरक्षा, सिस्टम विश्वसनीयता और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता को प्रभावित किया।

₹1.45 करोड़ रुपये का टाला जा सकने वाला व्यय

स्थापना स्थलों के सात वर्षों से अधिक समय तक पूरा न होने के कारण, निर्माण, सेवा और संपदा प्रबंधन निदेशालय ने स्थापना से पहले लंबे समय तक भंडारण के दौरान खराब हो चुके लिफ्ट घटकों के प्रतिस्थापन और मरम्मत पर 1.45 करोड़ रुपये का अनावश्यक व्यय किया।

लेजर वेल्डिंग मशीन के गैर/उप-इष्टतम उपयोग के कारण ₹1.52 करोड़ रुपये का व्यर्थ व्यय

अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री ने आवश्यक सहायक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना एक लेजर वेल्डिंग मशीन खरीदी। नतीजतन,

मशीन लंबे समय तक अप्रयुक्त या कम उपयोग की गई, जिससे खरीद के इच्छित उद्देश्य को विफल कर दिया गया और ₹1.52 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

प्रयोगशाला और मुख्यालय आरक्षित निधि योजना पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर) के प्रयोगशाला और मुख्यालय रिजर्व फंड का निर्माण बजटीय संसाधनों के पूरक के रूप में और उच्च राजस्व उत्पन्न करने वाली सी.एस.आई.आर प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा में फंड की योजना, उपयोग और निगरानी में महत्वपूर्ण कमियां देखी गईं। अधिकांश नमूना प्रयोगशालाओं और सी.एस.आई.आर मुख्यालय ने पिछले वर्ष में उत्पन्न फंड के निर्धारित हिस्से का भी उपयोग नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप शेष राशि का निरंतर संचय हुआ। 31 मार्च 2025 तक फंड के तहत संचित शेष राशि ₹3,490.68 करोड़ थी। नवाचार से संबंधित गतिविधियों के लिए निर्धारित ₹627.71 करोड़ की राशि अप्रयुक्त रही। लेखापरीक्षा में फंड में कुछ प्राप्तियों का अनधिकृत क्रेडिट, बाहरी रूप से वित्त पोषित परियोजनाओं के निपटान में देरी और निर्धारित निगरानी तंत्र की अनुपस्थिति भी देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप योजना की अप्रभावी निगरानी हुई।

1.99 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय और 1.86 करोड़ रुपये का अधिक व्यय

भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ने वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में एक फोटो गैलरी के निर्माण पर ₹1.99 करोड़ का अनधिकृत व्यय किया, जिसे अनुमोदित योजना में शामिल नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में प्रतिपूरक वनीकरण निधि से प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना पर ₹1.86 करोड़ के अतिरिक्त व्यय का भी निरीक्षण किया गया।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में कार्यरत एस.ए.पी-ई.आर.पी प्रणाली के कार्यान्वयन का सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने एस.ए.पी-ई.आर.पी को स्वचालन, पारदर्शिता और

परिचालन दक्षता के लिए एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिकल्पित किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि कई महत्वपूर्ण कार्यक्षमताओं और मॉड्यूल या तो कार्यान्वित नहीं थे या केवल आंशिक रूप से चालू थे। शासन और निरीक्षण तंत्र कमजोर थे और संचालन समिति ने कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी नहीं की।

मुख्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं को ई.आर.पी प्रणाली के बाहर संभाला जाना जारी रहा, जबकि उपयोगकर्ता पहुंच नियंत्रण, परिवर्तन प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, बैकअप प्रबंधन और व्यावसायिक निरंतरता व्यवस्था में महत्वपूर्ण कमियां देखी गईं। मैनुअल प्रक्रियाओं पर निरंतर निर्भरता और कमजोर नियंत्रण तंत्र ने एस.ए.पी-ई.आर.पी प्रणाली की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया।

₹5.07 करोड़ रुपये का व्यर्थ व्यय

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा पहल परियोजना (लघु जलविद्युत परियोजनाएं) की अपर्याप्त योजना और कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप ₹5.07 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।